

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
पत्रावली संख्या : 10/18 (प्रा0पत्र)
GCMS No. : 2018/00087

अनवान्

1. श्री चोखा पिता हरजी भील निवासी वार्ड नम्बर 10 वासनी माफी नगरपालिका फतहनगर सनवाड।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. नगरपालिका फतहनगर सनवाड जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका फतहनगर सनवाड।


.....विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री भेरूलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री मनीष कुमार तम्बोली, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
—: : निर्णय : :—

दिनांक : 27.11.2024

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी एक ग्रामीण एवं अनपढ किसान होकर अनुसूचित जनजाति का सदस्य है जिसके स्वामित्व हक आधिपत्य की कृषि भूमि राजस्व ग्राम सनवाड पटवार हल्का सनवाड तह. मावली में स्थित होकर हाल आराजी संख्या 2843 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा व आराजी संख्या 2845 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा है जिसके साबिक आराजी संख्या 2236/1 मी हैं।
2. यह कि सम्वत् 2008 में मेवाड रियासत सनवाड के तत्कालीन जागीरदार महाराज श्री एकलिंग सिंह द्वारा अन्य लोगो के साथ-साथ साबिक आराजी संख्या 2236 में से 16 बीघा 10 बिस्वा जमीन 71/- रुपये नजराने में आपी पट्टे पर देकर मौके पर तदनु रूप नपती करवाकर भूमि का भौतिक आधिपत्य प्रार्थी को सिपूद किया गया जिस पर प्रार्थी निरन्तर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थी अपने सगे सम्बन्धी सहित संयुक्त परिवार से पिछले 65 वर्षों से निवास करते हुए मकान बने हुए है तथा उक्त भूमि पर प्राप्त कृषि आय प्रार्थी व उसके परिवार को भरण पोषण का एकमात्र जरिया हैं।
3. यह कि प्रार्थी को सम्वत् 2008 में तत्कालीन जागीरदार द्वारा बापी पट्टे पर दी गई भूमि के साथ अन्य लोगो को भी भूमि बापी पट्टे पर दी गई, जिनके  में भूमि दर्ज हो

- गई। प्रार्थी द्वारा तत्समय से उपरोक्त भूमि अपने खाते में अंकित कराने हेतु निरन्तर प्रयास करता रहा किन्तु प्रार्थी की अज्ञानता एवं अशिक्षा के चलते एवं कोई प्रभावी रसुकात नहीं होने के कारण उपरोक्त भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं की गई तथा भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के नाम बिना किसी विधिक हक अधिकार के नुमाईशी नामान्तरण के माध्यम से दर्ज कर दी गई, जो भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 2 के नाम पर दर्ज हैं।
4. यह कि प्रार्थी उपरोक्त भूमि का बापी पट्टे के आधार पर मालिक व आधिपत्यधारी है परन्तु खाते में अंकन नहीं होने से विपक्षीगण द्वारा वर्षों से पेनाल्टी भी वसुली जाती रही है। यही नहीं प्रार्थी के परोक्ष में वर्तमान में गलत तौर से विधि विरुद्ध ढंग से नगर पालिका का नाम अंकित कर देना ज्ञात हुआ है जो कि पूर्णत गलत एवं अवैध है जबकि प्रार्थी का वैधानिक आधिपत्य सम्वत् 2008 से पीढी-दर-पीढी निरन्तर आज तक चला आ रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी उपरोक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड में स्वयं के नाम से दर्ज करवाने का पूर्ण रूप से अधिकारी हैं।
 5. यह कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपने खाते में दर्ज करवाने के लिए निरन्तर विपक्षीगण के यहां चक्कर लगाये जाते रहे किन्तु उनके द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई, ना ही उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि को प्रार्थी के खाते में दर्ज किया गया जिससे दुखित होकर प्रार्थी द्वारा एक पंजीकृत सूचना पत्र विपक्षीगण को दिनांक 09.11.2017 को प्रेषित करवाया गया जो विपक्षीगण को प्राप्त हो गया जिसके बावजूद विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि ना तो प्रार्थी के खाते में दर्ज की गई ना ही विधिक सूचना पत्र की पालना की गई जिससे दुखित होकर प्रार्थी को यह वाद पत्र आप श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया हैं।
 6. यह कि प्रार्थी के परोक्ष में विपक्षी संख्या 2 ने वादग्रस्त भूमि अपने खाते में अवैधानिक रूप से दर्ज करवाई है जबकि वादग्रस्त भूमि के बीचोबीच प्रार्थी एवं उसके परिवारजन के मकानात बने हुए है विपक्षीगण बिना किसी हक अधिकार के विपक्षी संख्या 2 प्रार्थी एवं उसके परिवारजन को वादग्रस्त भूमि एवं भूमि पर बने मकानात से बेदखल करना चाहता है जिसका उन्हें कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है।
 7. यह कि विपक्षी संख्या 2 फतहनगर सनवाड नगरपालिका में नियुक्त पदाधिकारी अपना व्यक्तिगत हित साधते हुए अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से येनकेन प्रकारेण प्रार्थी को भूमि से बेदखल करना चाहते है जिससे उन्हें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है। यदि विपक्षीगण प्रार्थी को अपनी भूमि एवं अपने घर बार से बेदखल कर देते है तो प्रार्थी के साथ भारी अन्याय होगा तथा अपूर्णीय क्षति पहुंचेगी जबकि इसके

विपरित विपक्षीगण को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी है जिससे प्रकरण का सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है।

8. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगण के विरुद्ध निम्न आशय का आदेश पारित फरमाया जावे कि वादपत्र के निस्तारण तक विपक्षीगण प्रार्थी की उपरोक्त भूमि जो आराजी संख्या 2843 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा व आराजी संख्या 2845 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा है, जिसके मध्य बने प्रार्थी एवं उसके परिवारजन के घर झोपड़ों को विपक्षीगण नष्ट नहीं करे, न ही उक्त भूमि के प्रार्थी द्वारा किये जा रहे उपयोग उपभोग में बाधा ही उत्पन्न करे, न प्रार्थी को बेदखल करे, उक्त कार्य न तो विपक्षीगण स्वयं करे, ना ही उक्त कार्य अपने नोकर चाकर या एजेण्ट से ही करावें।
9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका है।
10. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नहीं होने का कथन कर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।
11. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 के खाता संख्या 1518 पर दर्ज आराजी नम्बर 2843, 2845 किता 2 कुल रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि नगरपालिका फतहनगर सनवाड के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि के साबिक आराजी नम्बर 2236/1 मी. थे जिसके सम्बन्ध में सम्बत् 2008 में मेवाड रियासत सनवाड के तत्कालीन जागीरदार महाराज श्री एकलिंग सिंह द्वारा अन्य लोगों के साथ-साथ साबिक आराजी नम्बर 2236 में से 16 बीघा 10 बिस्वा जमीन 71/- रुपये नजराने में बापी पट्टे पर देकर मौके पर तदनु रूप नपती करवाकर भूमि का भौतिक आधिपत्य प्रार्थी को सिपुर्द किया गया जिस पर प्रार्थी निरन्तर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त सम्बत् 2038 से 2045 पेश की जिसमें वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी द्वारा खेती करना बताया गया है। न्यायालय का अभिमत है कि विपक्षी संख्या 2 वादग्रस्त भूमि का खातेदार हैं। इसलिए खातेदार के विरुद्ध रेकार्ड की यथास्थिति की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

परन्तु न्यायालय का यह भी अभिमत है कि प्रार्थी का यदि मौके पर कब्जा है और प्रार्थी को मौके से बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी द्वारा जिन दस्तावेजों के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहे गये हैं उक्त तथ्यों को मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर विनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के विरुद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072—75 के खाता संख्या 1518 पर दर्ज आराजी नम्बर 2843, 2845 किता 2 कुल रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.11.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT)मावली